प्रेस नोट

दिनांक 02.08.2019 साइबर सेल जनपद आगरा।

PayTM से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को साइबर सेल के द्वारा किया गिरफ्तार एवं दस्तावेज बरामद..........

जनपद साइबर सेल को उच्चाधिकारियों के माध्यम से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि एक गैंग जोकि PayTM के नाम पर लोन दिलवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते हैं, सक्रिय हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्रों की तकनीकी तौर पर जांच के बाद थाना जगदीशपुरा आगरा पर मु.अ.सं. 0463/2019 धारा 66 सी/66 डी IT Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें पीडित के द्वारा अवगत कराया कि उनकी बिना जानकारी/बिना मर्जी के खाते से Paytm के माध्यम से अवैध ट्रान्जेक्शन कर लिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा श्री बबलू कुमार के मार्गदर्शन में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में तथा पुलिस अधीक्षक अपराध श्री राजेश सोनकर के कुशल निर्देशन में गहनता से जांच कर तकनीकी आधार पर घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में 02 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ।

PayTM से एक हजार रू से लेकर एक लाख रू तक का लोन दिलवाने का झांसा देकर उनके मोबाइल पर आये OTP का इस्तेमाल कर PayTM खाते को प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद उन्हीं के PayTM खातों का इस्तेमाल करके खरीदारी करते हैं तथा कैश हेतु PayTM Agent/Shopkeeper के माध्यम से एजेन्ट को मोटा कमीशन देकर कैश प्राप्त कर लेतें हैं।

जिस PayTM खाते में पीडित के रूपयों का स्थानान्तरण किया गया उसने पूछताछ के दौरान बताया कि कुछ समय पूर्व Paytm से 01 लाख रू का लोन कराने हेतु रवि निवासी खन्दारी से बात की थी, रवि व उसके एक साथी नन्हे के द्वारा मेरे लोन हेतु कागजात (आधार कार्ड, पेन कार्ड) ले लिये तथा मेरे Paytm खाते की KYC अपडेट कराकर Paytm खाते को Activate करा दिया, इसके बाद इन लोगों ने पेटीएम में पैसा लेना शुरू कर दिया तथा जब खाता धारक के पास Paytm के SMS आने लगे तो उसने रवि उपरोक्त को बताया कि मेरे पास मैसेज क्यों आ रहे हैं तो रवि ने बताया कि लोन की प्रोसेश शुरु हो गयी है, अब यह लोन मेरे सीनियर नन्हे निवासी सदर आगरा के द्वारा 01 लाख रू का लोन जल्दी ही पास करा दिया जायेगा। इसके बाद Paytm में रूपये लेकर रवि खन्दारी स्थित Paytm Agent राजेश से मिलकर उसको मोटा कमीशन देकर डिजिटल ट्रान्जेक्शन कर बदले में रूपये कैश के रूप में लेता है। अग्रिम पूछताछ में Paytm Agent राजेश के द्वारा बताया गया कि मैंनें पैसों के लालच में आकर बहुत से लोगों को डिजिटल ट्रान्जेक्शन के बदले कैश दिया है।

- **गिरफ्तार अभियक्तों का विवरण :–**

01. रवि कुमार पुत्र रामबदन निवासी बापूनगर खन्दारी थाना न्यूआगरा जनपद आगरा (उम्र–29 वर्ष) शिक्षा 12वीं।

02. राजेश कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी बापूनगर खन्दारी थाना न्यूआगरा जनपद आगरा (उम्र–28 वर्ष) शिक्षा 12वीं एवं आई0टी0आई0।

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. दो अदद मोबाइल मय Paytm खाता सं. व KYC में प्रयुक्त दस्तावेज हैं।

- **अग्रिम कार्ययोजना :–**

आगरा में PayTM एजेन्ट व दुकानदारों को नोटिस देकर सूचित करना कि digital transaction के बदले कैश देना अनाधिकृत है। ताकि इस तरह के अपराध के प्रति जागरूक किया जा सके, जिससे अपराध पर भी अंकुश लगेगा। इस माध्यम से साइबर अपराधी आजकल लोगों के खातों से ऑनलाइन तरीके से पैसा निकालकर एजेन्ट व दुकानदारों को कमीशन देकर सामान की खरीदारी न कर कैश प्राप्त कर लेतें हैं।

- **गिरफ्तार करने वाली टीम :–**

01. प्रभारी साइबर सेल उ.नि. अमित कुमार जनपद आगरा।
02. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
02. कां0 विजय तोमर, कां0 इन्तजार, कां0 बबलू, कां0 जितेन्द्र साइबर क्राइम सेल आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।